प्रकरण संख्या 20/2024 भंवरलाल बनाम रामचन्द्र व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 ने विभाजन एवं स्वतंत्र अंकन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात कुल किता 7 रकबा 1.2707 हैक्टर में पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार जमाबन्दी में दर्ज है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित आराजियात कुल किता 17 रकबा 4.1194 हैक्टर में पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार दर्ज है। पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। अत वादीगण का वाद स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य मौके पर कब्जे व रेकार्ड अनुसार विभाजन किया जावे। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर हाल अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने इन्हीं भूमियों बाबत् आप न्यायालय में घोषणा, निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र निरस्ती का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा उसके साथ धारा 212 रा.का.अ. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थी के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी है, किन्तु वादीगण ने इस विभानज के वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिवादी बनाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 08.07.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल आचार्य उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह कर्णावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण आपस में मिले हुए हैं तथा वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा कराने पर आमादा हैं। विभाजन में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 का [illegible] जाने पर भी संतुष्ट हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 ने पहले ही [illegible] की काफी जमीन का विक्रय श्रीमती ज्योत्सना [illegible] को कर दिया है तथा अपीलान्ट को आश्वसन दिया कि [illegible]के हिस्से की जमीन [illegible] देंगे, परन्तु अब वह उक्त जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। अतः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संयोजित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट विवादित भूमि के सहखातेदार नहीं है तथा विभाजन के वाद में सिर्फ सहखातेदार को ही पक्षकार बनाये जाने का प्रावधान है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है, उन्हें अभी खातेदार घोषित नहीं किया गया है। इसलिए उन्हें बंटवारे के वाद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार को विभाजन कराने से नहीं रोक सकते हैं। आदेश 1 नियम 10 में पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर AIR 1964 MP Page 234 प्रस्तुत की।

उक्त बहस के रिबिटल में अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने जो न्यायिक नजीर प्रस्तुत की है, वह मध्य प्रदेश राज्य की है, जिसके प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लागू नहीं होते हैं।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट विवादित भूमि का सहखातेदार नहीं है ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद में उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। विभाजन के वाद का वाद सिर्फ सहखातेदार के मध्य होता है अथवा विवादित भूमि का रजिस्टर्ड क्रेता आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बन सकता है। अपीलान्ट विवादित आराजियात का क्रेता नहीं है, न ही उसके पक्ष में कोई बक्षीसनामा है। मात्र एक रेकार्ड सहखातेदार का पुत्र होने के आधार पर उसे विभाजन के वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2024 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर